ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 67-72**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

भारत में महिलाओं के उत्थान में सरकारी योजनाओं की भूमिका

डॉ० सुधीर कुमार गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदिष्टपुरी, रानीगंज, बलिया (उ0प्र0) भारत

Received-16.09.2025, Revised-24.09.2025, Accepted-30.09.2025 E-mail : sudheergupta125@gmail.com

***सारांशः** पुरुष एवं स्त्री समाज के आवश्यक अंग हैं। एक के अभाव में दूसरे का विकास सम्भव नहीं। स्त्रियों की प्रस्थिति निर्विवाद रूप से ऊँची रही है, क्योंकि व्यक्ति विषम परिस्थितियों में उनकी मदद चाहता है। बिना उनकी सहायता के वह जन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। डॉ. राधाकृष्णन ने लिखा है कि 'जब आकाश बादलों में काला पड़ जाता है, भविष्य का मार्ग घने वन में से होता है, जब हम अन्धकार में बिल्कुल अकेले होते हैं, प्रकाश की एक भी किरण नहीं दिख पड़ती और जब सब ओर कठिनाइयाँ होती हैं, तब हम अपने आपको किसी प्रेममयी नारी के हाथ में छोड़ देते हैं।' ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण कन्याओं को वेदों की शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रिय वर्ण की कन्याएँ धनुष–बाण की शिक्षा ग्रहण करती थी। पत्नी और माता अपना जो आदर्श निश्चित करती हैं, उसी से परिवार तथा समग्र जाति के भाग्य का निर्माण होता है। नारी ही परिवार के उद्धार अथवा विनाश का कारण है। इन विशेषताओं के होते हुए भी स्त्रियों के समाज में महत्वपूर्ण प्रस्थिति सदैव प्रदान नहीं की गयी है।*

भारत में महिलाओं का योगदान समाज, परिवार और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्हें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने महिलाओं के उत्थान और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना, और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस शोध पत्र में भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख योजनाओं और उनके प्रभाव की चर्चा की जाएगी। यह अध्ययन विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। भारत की महिलाएं अपेक्षाकृत अशक्त हैं और सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद वे पुरुषों की तुलना में कुछ कम स्थिति का आनंद लेती हैं। यह पाया गया है कि महिलाओं द्वारा असमान लैंगिक मानदंडों की स्वीकृति अभी भी समाज में प्रचलित है।

***कुंजीभूत शब्द–** महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार, परिवार, प्रस्थिति, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–आर्थिक स्थिति।*

परिचय– महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। महिलाएं हर अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और सामंजस्यपूर्ण विकास तभी संभव होगा जब महिलाओं को पुरुषों के साथ प्रगति में समान भागीदार माना जाएगा। भारत में महिला सशक्तिकरण कई अलग–अलग चरों पर बहुत अधिक निर्भर है जिसमें भौगोलिक स्थिति (शहरी/ग्रामीण), शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और उम्र शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक भागीदारी सहित कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय (पंचायत) स्तरों पर महिला सशक्तिकरण पर नीतियां मौजूद हैं। महिला सशक्तीकरण स्वायत्तता और उनके जीवन पर नियंत्रण को सक्षम बनाता है। सशक्त महिलाएं अपने खुद के विकास की एजेंट बन जाती हैं, अपने स्वयं के एजेंडे को निर्धारित करने के लिए विकल्पों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाती हैं और समाज में अपनी अधीनस्थ स्थिति को चुनौती देने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास आनुपातिक रूप से सबसे कम संपत्ति, कौशल, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, नेतृत्व के गुण और लामबंदी की क्षमता होती है, जो निर्णय लेने और शक्ति की डिग्री निर्धारित करती है, और परिणामस्वरूप, पुरुषों पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया है, वे घरेलू कार्यों के बोझ से दबी हुई हैं और अनादि काल से घर के पुरुषों द्वारा उनकी गतिशीलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए वे शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गई हैं और परिणामस्वरूप, उनके काम को आर्थिक दृष्टि से बहुत कम आंका गया है।

महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है, यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में महिलाओं की स्थितियों, महिलाओं के भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के लिए अवसर और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता और चेतना पैदा करना, सामूहिक रूप से एक समूह का आयोजन करना, समूह की पहचान और समूह का दबाव शामिल है। क्षमता निर्माण और कौशल विकास, योजना बनाने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवस्थित करने की क्षमता, प्रबंधन करने की क्षमता, गतिविधियों को करने की क्षमता, अपने आसपास की दुनिया में लोगों और संस्थानों से निपटने की क्षमता, घर पर, समुदाय में और समाज में निर्णय लेने में भागीदारी, और संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण, उत्पादकता के साधनों पर और अधिक वितरण सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण एक पदानुक्रम के निचले स्तर पर उन लोगों के पक्ष में शक्ति संबंधों को बदलने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा महिलाओं को आत्म–साक्षात्कार की शक्ति को बढ़ाया और सुदृढ़ किया जाता है। वे लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और परिवार और समाज में भूमिका के संबंध में अधीनता को पार करके आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित करती हैं। इसमें चुनाव करने, संसाधनों को नियंत्रित करने और परिवार और समुदाय के भीतर भागीदारी संबंधों का आनंद लेने की क्षमता भी इसमें शामिल है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी की क्षमता भी निहित है और अपने लक्ष्य की दिशा में उनकी प्रगति में बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करना भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण में एक समाज, एक राजनीतिक वातावरण का निर्माण शामिल है, जिसमें महिलाएं उत्पीड़न, शोषण, आशंका, भेदभाव और उत्पीड़न की सामान्य भावना के बिना सांस ले सकती हैं, जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान ढांचे में एक महिला होने के साथ चलती है।

अध्ययन की आवश्यकता– महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को देश के विकास एजेंडे में रखा जाना चाहिए। उन्हें भी विकास में भागीदार बनाया जाना चाहिए और विकास अंततः

सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया बन जाता है। यह सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के हर पहलू में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। महिलाओं के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के लिए यह भागीदारी जरूरी है। इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण व्यक्तिगत महिलाओं के विकल्पों और उत्पादकता स्तरों और महिला समूहों के सामूहिक योगदान को बढ़ाएगा। जहाँ तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, उन्हें सभी जगहों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। पश्चिमी समाजों में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार और दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत में आज भी लैंगिक अक्षमताएं और भेदभाव पाए जाते हैं। विरोधाभासी स्थिति यह है कि महिलाओं को कभी देवी के रूप में और कभी केवल दासी के रूप में देखा जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता, और आर्थिक असमानता जैसे कई मुद्दे हैं जिनका समाधान करना जरूरी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

साहित्य पुनरावलोकन– अमर्त्य सेन (1999) अपनी पुस्तक "डेवलपमेंट ऐज़ फ़्रीडम" में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देते हैं। उनका तर्क है कि शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और संपत्ति के अधिकारों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने से समग्र सामाजिक प्रगति बढ़ती है, मृत्यु दर (विशेषकर शिशु/मातृ मृत्यु दर) कम होती है, और लैंगिक असंतुलन दूर होता है। वे उपेक्षा और शिशुहत्या जैसे मुद्दों से निपटकर महिलाओं की स्वतंत्रता को सीधे मानव विकास से जोड़ते हैं। वे महिलाओं की क्षमता को उनकी क्षमताओं से जोड़ते हैं, यह दर्शाते हुए कि देखभाल के काम में स्वायत्तता की कमी और उनकी आवाज़ सुनिश्चित करने जैसे अभावों पर काबू पाना सच्ची स्वतंत्रता और कल्याण के लिए ज़रूरी है। वे क्षमता के दृष्टिकोण को लैंगिक समानता तक विस्तारित करते हैं।

एस. देसाई और एम. बेनर्जी (2008) ने अपने शोध पत्र 'नेगोशिएटेड आइडेंटिटीज़: मेल माइग्रेशन एंड लेफ्ट बिहाइंड वाइव्स इन इंडिया' में यह अध्ययन करते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों के रोज़गार के लिए प्रवास करने से पीछे रह जाने वाली पत्नी के जीवन, भूमिकाओं और पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह शोध इस बात पर केंद्रित है कि पति की अनुपस्थिति में महिलाएँ स्वायत्तता, ज़िम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती हैं। पति के दूर रहने पर महिलाएँ घर, वित्त, खेती और परिवारिक निर्णयों सहित कई काम संभालती हैं। यह बढ़ा हुआ बोझ कभी–कभी कठिन होता है, लेकिन इससे उन्हें नई स्वायत्तता के अवसर भी मिलते हैं। हालाँकि महिलाएँ कुछ निर्णय लेने की शक्ति हासिल कर सकती हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता अक्सर पितृसत्तात्मक मानदंडों से बंधी रहती है। कई घरों में ससुराल या विस्तारित परिवार महिलाओं की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। लेखक दिखाते हैं कि महिलाएँ पारंपरिक भूमिकाओं (आज्ञाकारी पत्नी, देखभाल करने वाली) और नई भूमिकाओं (घर प्रबंधन, अर्ध–प्रधान गृहप्रमुख) के बीच अपनी पहचान को "नेगोशिएट" करती हैं। ये बदली हुई पहचानें पितृसत्ता के भीतर प्रतिरोध और अनुकूलन दोनों को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर, यह अध्ययन दिखाता है कि पुरुष प्रवास की स्थिति में पीछे रह जाने वाली पत्नियाँ प्रतिबंध और अवसरों के मिश्रित अनुभव से गुज़रती हैं, जिससे लैंगिक भूमिकाएँ बदलती तो हैं, पर अक्सर संघर्षपूर्ण बनी रहती हैं।

आर. श्रीवास्तव (2015) ने अपने शोध पत्र 'वीमेन एम्पोवेर्मेंट एंड जेंडर इक्वलिटी इन इंडियाः ए केस स्टडी ऑफ़ गुजरात' में भारत के गुजरात में महिला सशक्तिकरण पर अध्ययन में इस बात की जांच की, कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मानदंड जैसे कारक महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे पता चलता है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद उन्हें अभी भी महत्वपूर्ण भेदभाव और निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में वास्तविक सशक्तिकरण के लिए मजबूत नीतियों, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सविता त्रिपाठी (2019) ने अपने शोध पत्र 'महिला सशक्तिकरण' में बताया आज के इस समय में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है खासतौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं की तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की सम्भव नहीं है। इन सब के साथ साथ यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि सरकारी कार्यक्रम, योजनाएं तभी अपना रंग दिखा पाएंगी जब नारी खुद के अधिकार के संदर्भ में जागरूक होंगी तभी वे स्वयं को सशक्त बना सकेंगी।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. भारत में महिलाओं के उत्थान से सम्बंधित प्रमुख सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
2. योजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रभाव का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने बाधाओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि– यह पेपर मूल रूप से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें उपयोग किया गया डेटा इस अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों से लिया गया है। भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति, अपने पुरुष समकक्षों के बराबर होना अभी भी भारतीय महिलाओं के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। न केवल वे हाशिए पर हैं क्योंकि सार्वजनिक हस्तियां औसत भारतीय महिलाएं शायद ही घर या बाहर निर्णय ले सकती हैं। पिछली जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है और पुरुषों की 80 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। भारत में साक्षरता दर और लिंगानुपात हमेशा चिंता का विषय रहा है, क्योंकि दोनों ही मामलों में हमारी महिलाओं की जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या के संबंध में, दौड़ में पीछे है।

भारत में महिलाओं के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रयास– स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने के लिए अनेक संवैधानिक प्रयास किये गये एवं महिलाओं के पक्ष में कई तरह के कानून बनाए गये, जो निम्न हैं:

(i) विशेष विवाह अधिनियम, 1954: विवाह के क्षेत्र में महिलाओं को अपनी इच्छा से जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता देने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाली लड़कियों को कार्ट की सहायता से किसी भी धर्म या जाति के युवक से विवाह करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

(ii) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955: भारत सरकार द्वारा महिला कल्याण की दिशा में उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक कदम हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 को पारित करना है। इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विवाह से सम्बन्धित पहले के सभी कानूनों को रद्द करके शोषण की स्थिति में पत्नी को अपने पति से अलग रहने का अधिकार दिया गया। साथ ही विशेष दशाओं में पति–पत्नी को न्यायालय के द्वारा विवाह–विच्छेद का भी अधिकार प्रदान किया गया। विवाह–विच्छेद की स्थिति में दोनों में से कोई एक पक्ष तलाक के एक वर्ष

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

पश्चात पुनर्विवाह कर सकता है। स्त्रियों को आर्थिक सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से विवाह–विच्छेद होने पर अथवा पति से अलग रहने पर उन्हें अपने पति से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया। यह अधिनियम इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था कि इससे पहले पुरुष अपनी पत्नी को इच्छानुसार छोड़ देने या उसकी किसी भी तरह शोषण करने के लिए स्वतंत्र था। इस कानून ने पुरुषों की इस स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण लगाने में प्रभावशाली योगदान किया।

(iii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: महिलाओं को पुरुषों के समान सम्पत्ति में समान अधिकार देने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में स्त्री को एक माता, पत्नी तथा पुत्री के रूप में सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा तथा स्त्री को किसी भी शारीरिक दोष के आधार पर अपने हिस्से की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी स्त्री द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति पर उसे पूर्ण अधिकार दिया गया। इस अधिनियम से पुरुषों द्वारा का आर्थिक शोषण करना सम्भव नहीं रहा।

(iv) हिन्दू नाबालिगी तथा संरक्षता अधिनियम, 1956: परम्परागत रूप से एक विधवा को अपने नाबालिग बच्चे तथा उसकी सम्पत्ति का संरक्षक बनने का अधिकार नहीं था। इस क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 पारित किया गया। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को किसी विधवा के नाबालिग बच्चे की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने से रोक दिया गया।

(v) हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956: सन् 1956 में इस अधिनियम को पारित किया गया जिसका उद्देश्य संतान न होने की दशा में पत्नी अथवा पति को एक दूसरे की सहमति से किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार दिया गया। पति की मृत्यु की दशा में उसकी विधवा को भी अपनी सम्पत्ति के उपयोग के लिए बच्चे को गोद लेने का अधिकार दिया गया।

(vi) स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम: महिलाओं क यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सन् 1956 इस अधिनियम को पारित किया गया। जिसके द्वारा वैश्यावृत्ति को दण्डनीय अपराध घोषित करने के साथ ही उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया जो लड़कियों अथवा महिलाओं को वैश्यावृत्ति के लिए वाह्य करते हो।

(vii) दहेज निरोधक अधिनियम, 1961: भारतीय समाज में दहेज प्रथा लम्बे समय से महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण रही है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 'दहेज निरोधक अधिनियम, 1961' पारित किया गया जिसमें किसी भी रूप दहेज लेने और देने को एक गैर–जमानती अपराध घोषित किया गया तथा इसके लिए दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

(viii) मातृत्व व लाभ अधिनियम, 1961: मातृत्व लाभ अधिनियम स्त्रियों को उनके मातृत्व के दौरान रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सबसे बढ़ियाँ कदमों में से एक है। मातृत्व लाभ मूल रूप से काम से अनुपस्थिति का पूरा भुगतान पाने का लाभ है। यह लाभ स्त्री को उसके बच्चे की देखभाल में सहयोग करने के उद्देश्य से दिया जाता है।

(ix) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971: भारत सरकार द्वारा पारित इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति प्राप्त है। इस कानून के अन्तर्गत महिलाएँ कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे–गर्भ के दौरान गर्भवती महिला का जीवन जोखिम में पड़ना, यदि इस बात की पर्याप्त जोखिम है कि बच्चा पैदा हुआ तो वह शारीरिक/मानसिक असमान्यताओं से पीड़ित होगा, ऐसी स्थिति में सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अस्पताल से अपना गर्भपात करा सकती है तथा इसके लिए उसे केवल स्वयं की लिखित स्वीकृति ही देनी जरूरी है लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो लेकिन जो पागल हो, को माता–पिता या पति की लिखित इजाजत की जरूरत होती है।

(x) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976: भारत सरकार द्वारा आर्थिक शोषण के विरूद्ध स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सन् 1976 में इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि महिलाओं को वही वेतन एवं पारिश्रमिक दिया जाएगा जो उसी कार्य के लिए पुरुष को दिया जाता है। इस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव गाँव में भूमिहीन मजदूर के रूप में काम करने वाली लाखों स्त्रियों के जीवन पर पड़ा।

(xi) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986: इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के सम्मान को क्षति पहुँचाने वाले विज्ञापनों तथा अन्य प्रदर्शनों पर रोक लगाई गयी।

(xii) सती निषेध अधिनियम, 1987: राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में यह कानून बनाया गया जिसे 1988 में भारत सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल किया। इस अधिनियम द्वारा विधवा हुई स्त्री को सती होने से रोकने के लिए प्रावधान बनाया गया। सती होने वाली स्त्री को ऐसा करने से न रोकने वाले उसके सगे–सम्बन्धियों को भी दोषी ठहराए जाने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी।

(xiii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990: भारतीय सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों तथा अन्य सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया था।

(xiv) 73वां एवं 74वां संविधान: सन् 1992 में संविधान में 73वां संशोधन करके एक नया केन्द्रीय राज्य पंचायत अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य पंचायत राज व्यवस्था में अनेक दूसरे सुधार करने के साथ स्त्रियों की राजनीतिक चेतना बढ़ाना है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में इस संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को 33þ आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग प्ए का सुत्रपात किया जो नगरपालिकाओं के मामले से सम्बन्धित है। इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

(xv) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994: पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 भारत सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पारित किया गया एक संघीय कानून है। इस अधिनियम द्वारा गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व ही अजन्मे शिशु के भ्रूण के लिंग की जानकारी देने वाले चिकित्सीय विधि के उपयोग पर इस अधिनियम द्वारा रोक लगाई गयी है।

(xvi) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: महिला–उत्पीड़न पर प्रभावशाली रोक लगाने के लिए भारतीय सरकार ने घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम, 2005 पारित किया। जिसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को उत्पीड़न के विरूद्ध सुरक्षा देना है। महिला–उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का तात्पर्य पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा महिला को

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

घर से निष्कासित कर देना, उसके भरण–पोषण का खर्चा न देना, उसे मानसिक अथवा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, मारपीट करना, अभद्र गाली देना, इच्छा के विरूद्ध किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना, नाबालिग बच्चे को बुरी तरह पीटना व जरूरी आवश्यकताओं के लिए खर्चा न देना इत्यादि दशाओं से हैं। ज्यादातर महिलाओं को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जिसके कारण उत्पीड़न के अधिकांश मामले दहेज कानून के अन्तर्गत ही दर्ज किये जाते हैं। वास्तव में 'घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, 2005' के प्रावधान अधिक कठोर है तथा इससे सम्बन्धित मामले गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं जिसमें पुलिस दोषी के विरूद्ध सीधी कार्यवाही कर सकती है

(xvii) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (2012): प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफसेज एक्ट (च्व्ब्) भारत की संसद में 22 मई 2012 को पारित किया गया। भारत दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है इस अधिनियम को बनाने के पीछे उद्देश्य नाबालिग बच्चियों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण दिया जा सके। पॉक्सो एक्ट के मामले देश के सबसे संगीन अपराधों में से एक है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

(xviii) कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम, 2013: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण तथा उनसे जुड़े मामलों के लिए भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लोकसभा में 3 सितम्बर 2012 को तथा राज्य सभा में 26 फरवरी 2013 को अधिसूचित किया गया। संस्था में जहाँ दस से अधिक लोग कार्य करते हैं, उन सभी संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू होता है।

(xix) नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023: 18 सितम्बर 2023 को केन्द्रिय मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया। भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) द्वारा लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सहित राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है।

वर्तमान में भारत में महिलाओं के उत्थान से सम्बन्धित प्रमुख योजनाएँ–

(i) कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल: भारत सरकार द्वारा 1972–73 से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की एक केन्द्रीय योजना चला रही है। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्थान आवास के साथ–साथ उनके बच्चों के लिए डे–केयर सुविधा को बढ़ावा देना। इसके तहत 902 हॉस्टल मंजूर किये जा चुके हैं, जिनमें 67,284 महिलाओं व सम्बद्व 334 डे–केयर सेंटर में 9,987 बच्चों की क्षमता है। 2010 में इस योजना में संशोधन किया गया है।

(ii) महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम (स्टेप): यह योजना 1986–87 में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उपयुक्त समूहों में संगठित करते हुए स्वपोषी आधार पर उनके रोजगार के कौशल में सुधार करते हुए, सहायता सेवाओं और ऋण उपलब्ध कराते हुए, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल, साक्षरता और अन्य सूचना उपलब्ध कराते हुए महिलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है।

(iii) स्वाधार: यह योजना 2001–02 के दौरान शुरू किया गया। यह योजना आश्रय, वस्त्र, भोजन और पुनर्वास की प्राथमिकता आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। इसके अन्तर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली व पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सहायता से वंचित महिलाओं को समग्र व एकीकृत सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है।

(iv) महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति (2001): महिलाओं की प्रगति विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन भविष्य की रूप रेखा के रूप में किया गया। इसमें भेदभाव समाप्त करके, समान अवसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया।

(v) उज्ज्वला: बच्चों और महिलाओं की अवैध तस्करी को समाप्त करने के लिए 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य व्यवसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए पीड़ित महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सबलता प्रदान करके रोकना, पुनः एकीकृत करना, बचाव करना और वापस भेजना है।

(vi) धन लक्ष्मी योजना (2008): भारत सरकार द्वारा 2008 में लांच की गई इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसमें बालिका का जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद शादी करने पर एक लाख रुपए की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है।

(vii) इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन 2010 में किया गया। यह योजना 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पहले दो जीवित जन्मों के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

(viii) राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम 'सबला': भारत सरकार द्वारा 2011 में सबला योजना शुरू किया गया। जिसे किशोरियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना के रूप में जाना जाता है। जिसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच युवा लड़कियों के पोषण, स्वास्थ्य, जीवन इत्यादि को सशक्त बनाना है।

(ix) जननी सुरक्षा कार्यक्रम: यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1 जून 2011 को लांच किया गया। जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देता है।

(x) वन स्टॉप सेंटर 'सखी': यह योजना जो सखी के नाम से जानी जाती है, का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 2015 में किया गया। यह योजना निर्भया फंड के तहत लागू की गई है। वह महिला जिसने हिंसा का सामना किया है उसे चिकित्सा, पुलिस, कानून और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की सहायता इन केन्द्रों से सम्भव है। आवश्यकतानुसार पीड़ित महिलाएँ अस्थाई तौर पर इन केन्द्रों पर रह सकती हैं। इसे 181 हेल्पलाइन नम्बर से जोड़ा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 733 वन स्टॉप सेन्टर को 730 जिलों में स्वीकृति दी है।

(xi) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाः इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा से की। यह योजना मुख्यतः लिंगानुपात पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है।

(xii) सुकन्या समृद्धि योजनाः इस योजना को 2015 में शुरू किया गया है। इस योजना की सहायता से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है ताकि वह अपनी शिक्षा हासिल कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके। महिलाएँ इस योजना का लाभ तब तक उठा सकती हैं जब तक उनकी बेटी 21 वर्ष की नहीं हो जाती।

(xiii) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को बलिया जिले से हुई। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ने पर 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर तथा 2023 में पुनः बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया।

(xiv) महिला शक्ति केन्द्र योजनाः यह योजना 2017 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गयी। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केन्द्र उपलब्ध कराना है। ये केन्द्र महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं, कानूनी सहायता इत्यादि की जानकारी प्रदान करेंगे।

(xv) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनाः इस योजना को 2017 में शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत पहली बार गर्भवती या स्तनपान कराने वाली सभी आय वर्ग की महिलाओं को उनके उचित पोषण के लिए धनराशि दी जाती है।

(xvi) राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना 2017: यह भारत सरकार द्वारा चालायी जा रही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पहले इस योजना को राजीव गांधी क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से 6 वर्ष के बीच में है, उन्हें बच्चों की दिन भर देखभाल करने की सुविधा प्रदान करना है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा सर्वांगीण विकास की निगरानी होती है। यह शिशुगृह महिने में 26 दिन और दिन के साढ़े सात घण्टे के लिए खुला रहेगा। मार्च 2020 तक पूरे देश में 6453 राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) संचालित है। केरल सरकार द्वारा उनके राज्य में 479 क्रेच (शिशुगृह) संचालित है।

(xvii) महिला उद्यमिता निधि योजनाः भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरूवात 2020 में की गयी थी उन महिला उद्यमियों के लिए जो व्यवसाय उद्यम शुरू करना चाहती हैं लेकिन उनके पास उतनी धनराशि नहीं है, महिला उद्यमिता निधि योजना काम आ सकती है, जो महिलाएँ इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं उन्हें महिला स्टार्टअप हब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

भारत में महिलाओं के उत्थान की आवश्यकता– भारत सरकार ने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन समाज के हर स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वह सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी हो, शिक्षा तक पहुंच हो, और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी हो। पूरे भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत गरीब पाया जाता है। कुछ महिलाएं सेवाओं और अन्य गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसलिए, उन्हें पुरुषों के साथ–साथ खड़े होने के लिए समान आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है। बलात्कार, लड़की के अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि के न जाने कितने मामले हैं। इन कारणों से, उन्हें अपनी सुरक्षा और अपनी पवित्रता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम साक्षर पाई जाती हैं। इस प्रकार, महिलाओं के बीच बढ़ती शिक्षा उन्हें सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक रूप से इतना कमजोर है कि वे अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन से अधिक काम करती हैं। इस भेदभाव को समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण को संबोधित करने की जरूरत है, ताकि उन्हें शक्तिशाली और सम्मानित बनाया जा सके। एक और समस्या कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न है। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिलाएं साथ नहीं आतीं और स्वयं को सशक्त बनाने में मदद नहीं करतीं। नारी कृत गरीबी को कम करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन और देश की महिला आबादी को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी संपत्ति बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष– अध्ययन से हमने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जो महिलाओं की आबादी के अधिकारों और बुनियादी जरूरतों को समायोजित करने में मदद करें। इस प्रकार, आय, रोजगार और शैक्षिक मोर्चे पर उपलब्धि के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य तुलनात्मक रूप से खराब प्रतीत होता है और इसकी जाँच करने की आवश्यकता है। क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण से लैंगिक भेदभाव के उन्मूलन और पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संतुलन का निर्माण न केवल महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि पूरे समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभान्वित करेगा। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, और देश आगे बढ़ता है। सशक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि उनके विचार और उनकी मूल्य प्रणालियां एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास का नेतृत्व करती हैं। महिला सशक्तिकरण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। समाज को समाज के उत्थान और समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए दोनों लिंगों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और हर देश में लैंगिक असमानता मौजूद है। जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिए जाते, तब तक पूरे समाज को उनकी वास्तविक क्षमता से कम प्रदर्शन करने के लिए नियत किया जाएगा। सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि सशक्तिकरण तभी वास्तविक और प्रभावी होगा जब वे आय और संपत्ति से संपन्न होंगी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। समाज को एक ऐसा माहौल बनाने की पहल करनी चाहिए जिसमें सरकार द्वारा महिला विकास के लिए बनाई गई योजनाओं से उन्हें उचित लाभ मिल सके। कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और महिलाओं को समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में स्वयं निर्णय लेने और भाग लेने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लर्नर, डेनियल, (1958), द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, फ्री प्रेस, पृ. 5.
2. ट्यूमिन, एस.एम. (1953), सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन : ए क्रिटिकल एनालिसिस, अमेरिकन सोशियोलाजिकल रिव्यू, वाल्यूम 18, पृ. 387–394.
3. सिंह, जे.पी. (1999), सामाजिक परिवर्तन स्वरूप एवं सिद्धान्त, हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 10–11.
4. देसाई, एस. और बेनर्जी, एम. (2008) नेगोशिएटेड आइडेंटिटीज़: मेल माइग्रेशन एंड लेफ्ट बिहाइंड वाइव्स इन इंडिया, जर्नल ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च।
5. दूबे, एस.सी. (2005), भारतीय समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, पृ. 72.
6. आहुजा, राम (2010), सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 142.
7. कुमार राधा (2005), स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800–1990, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. देसाई, ए. आर.(1948), सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पापुलर प्रकाशन।
9. मदन, जी, आर. (2005), भारतीय सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
10. आर., श्रीवास्तव (2015) वीमेन एम्पोवेर्मेंट एंड जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया : ए केस स्टडी ऑफ़ गुजरात, ए.जे.डब्लू.एस. ।
11. महाजन, डॉ. धर्मवीर, डॉ. कमलेश महाजन (2007), नातेदारी विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्र, दिल्ली।
12. श्रीनिवास, एम.एन. (1972), सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, (इंडिया एडिशन) ओरिएंट लोगमेन, नई दिल्ली।
13. सिंह, योगेंद्र (1973), भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
14. आहूजा, राम (2000), भारतीय समाज रावत पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
15. आहूजा, राम (2021) सोशल प्रोबलम इन इंडिया, (फोर्थ एडिशन)।
16. त्रिपाठी, सविता (2019), महिला सशक्तिकरण, आई.जे.आर.ए.आर.।
17. सेन, ए (1999) डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

*****